संख्या- 45/2018/368/22-4-18-107(ब)/12टी0सी0

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 28 मार्च, 2018

विषय- प्रदेश की 20 कारागारों में सीसीटवी सर्विलांस इकाईयों की स्थापना हेतु स्वीकृत धनराशि का अग्रिम भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या-10783/आधु0-1/सीसीटीवी-वैल्यूम-2/2015, दिनांक 20 मार्च, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश की 20 कारागारों में सीसीटवी सर्विलांस इकाईयों की स्थापना कराये जाने हेतु श्रीटॉन पावरट्रानिक्स लि0 के पक्ष में शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 4,14,58,000/- के सापेक्ष 60 प्रतिशत धनराशि के अग्रिम भुगतान की अनुमति प्रदान किये का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अत: उक्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश की 20 कारागारों में सीसीटवी सर्विलांस इकाईयों की स्थापना कराये जाने हेतु मूल स्वीकृत धनराशि रू0 4,14,58,000/- के सापेक्ष 60 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 2,48,74,800/- (रूपये दो करोड़ अड़तालिस लाख चौहत्तर हजार आठ सौ मात्र) श्रीटॉन पावरट्रानिक्स लि0 को आहरित कर अग्रिम भुगतान की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु ही जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

(2) पिछले स्वीकृत किये गये अग्रिम एवं अब स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम के समायोजन की स्थिति से वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जायेगा। समायोजन सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही अगले अग्रिम आहरण का प्रस्ताव किया जायेगा।

(3) प्रॉक्योरमेन्ट मैनुअल 2016 के अध्याय-11 के प्रस्तर-11.8 के अनुसार ब्याज की देयता के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराई जायेगी।

(4) क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं दर सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरणों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो एवं मूल्य प्रचलित बाजार दर से अधिक न हो।

(6) अग्रिम के रूप में आहरित की जा रही समस्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2018 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(7) प्रश्नगत अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.83 तथा शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10.06. 2011 में निहित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(8) समस्त सम्बन्धित वित्तीय नियमों, प्रक्रिया और इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग की अशासकीय संख्या-ई-12-468 /दस/2017, दिनांक- 26 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-45/2018/368(1)/22-4-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) निदेशक, श्रीटॉन पावरट्रानिक्स लि0,अपट्रान बिल्डिंग, नियर गौमती बैराज, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

भवदीय,

कलाम मुहीउद्दीन
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in